अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/16/21 तारीख रजू........................

प्रकाश **बनाम** छाजी वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 1371, 1372, 1373, 1385, 1265/1227, 1359, 1360, वाके ग्राम भनोखर तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 23.03.2021को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 23.03.2021को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
23.3.21	वकील प्रार्थी .... उपस्थित । ...क आदेश दिनांक ...... 25-1-21 ...की पालना में पत्रावली वास्ते ...... [illegible] दिनांक ...... 22/6/21 ...... को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/6/21	सुनवाई हेतु ... P.O. रहेगा [illegible] पत्रावली दिनांक 14/1/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/2/23	पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई वादी प्रार्थी हाजिर नहीं आये वकील व उनके प्रार्थी को बार बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं पाया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर्याप्त कारण कोई अदम हाजरी में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली बाद इन्द्राज रजिस्टर नम्बर के कम से बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे सुनाया [signature]	